



Neutral Citation No. - 2026:AHC:40219-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 30050/2025

रईस महमूद

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अख्तर अहमद सिद्दीकी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में दायर पूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा थाना- मउआइमा, जिला- गंगा नगर (कमिश्नरेट प्रयागराज) में धारा 419, 420, 467, 468, 471 आई.पी.सी. के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 457/2025 को उद्भूत करने वाली दिनांक 10.12.2025 की एफ.आई.आर. को खारिज करने की प्रार्थना सहित दायर की गई है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता पूर्णतः निर्दोष है और अंतरस्थ हेतु वर्तमान वाद में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित एफ.आई.आर. में लगाए गए अभिकथनों से याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी अपराध प्रकट नहीं होता और इस प्रकार आक्षेपित एफ.आई.आर. खारिज किए जाने योग्य है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने उक्त प्रार्थना का प्रबलतापूर्वक विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित एफ.आई.आर. में लगाए गए अभिकथनों से याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, इसलिए आक्षेपित एफ.आई.आर. खारिज नहीं की जा सकती है।

6. विद्वान ए.जी.ए. ने आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जेलानी, (2017) 2 एससीसी 779, नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315* और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय *आपराधिक अपील संख्या 843/2024, प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य* में प्रतिपादित विधि पर भरोसा किया है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करते हुए और विद्वान ए.जी.ए. द्वारा उद्धृत सुसंगत विधि तथा आक्षेपित एफ.आई.आर. में लगाए गए अभिकथनों को ध्यान में रखते हुए, हमारा मत है कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है और रिट याचिका में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है, इस प्रकार आक्षेपित एफ.आई.आर. खारिज नहीं की जा सकती है।

8. अतः आक्षेपित एफ.आई.आर. को खारिज करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

9. इस दृष्टि से, वर्तमान रिट याचिका में गुण-दोष का अभाव है और तदनुसार **खारिज** की जाती है।

23 फरवरी, 2026

केएस

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)